

प्रेषक,

रेणुका कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक - 06 जुलाई, 2020

विषय- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

शासन द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निम्नवत् निर्धारण किया गया है :-

1- राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक- 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी। (संलग्नक-1)

2- राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रुपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी। (संलग्नक-2)

3- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 से आच्छादित आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की कार्यवाही नितान्त अपवादात्मक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा 77 से आच्छादित भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण किया जाता है, तो उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित की जायेगी या धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय के माध्यम से की जायेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति लोक उपयोगिता और उपयुक्तता सम्बन्धित कलेक्टर एवं मण्डलायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या- 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03 जून 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उनके शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवारत विभाग, वाणिज्यिक विभाग तथा भारत सरकार के विभागों हेतु श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-11/2020/689(1)/एक-1-2020-20(5)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चक्रवर्ती आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
घनश्याम चतुर्वेदी
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियों और अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 3 जून, 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), तथा (छः) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी वस्तु को वापस लेने की, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, उक्त संहिता की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता, की धारा 101(2) के परन्तुक की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ वह फाइनैन्शियल हैण्डबुक, खण्ड (5) के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, प्रत्यायोजित करती हैं। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जाएगा।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियाँ और अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों तथा सभी मण्डलों के मण्डलायुक्तों को, नीचे अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), तथा (छः) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी वस्तु को वापस लेने की, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य, शक्तियाँ, उक्त संहिता की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और उक्त संहिता, की धारा 101(2) के परन्तुक की शक्तियाँ उन दशाओं में जहाँ वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड (5) के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, प्रत्यायोजित करती हैं।

अनुसूची

कलेक्टर	वस्तु या वस्तुयें, जिनका मूल्य 40 लाख रुपये से अधिक न हो।
मण्डलायुक्त	वस्तु या वस्तुयें, जिनका मूल्य 40 लाख रुपये से अधिक हो।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।